Need to extend pension benefits under CCS (Pension) Rules, 1972 to teaching and non-teaching employees of Jawahar Navodaya Vidyalayas -Laid

डॉ. हेमंत विष्णु सवरा (पालघर) : मैं सरकार का ध्यान जवाहर नवोदय विद्यालय के शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों के काफी समय से लंबित पेंशन संबंधित माँगो की ओर दिलाना चाहता हूँ । मैं जवाहर नवोदय विद्यालय का पूर्व छात्र रहा हूँ, इसलिए नवोदय विद्यालय के कर्मचारी और शिक्षक गण मुझसे अक्सर मिलते रहते हैं । मैं आपका ध्यान देश के 590 जवाहर नवोदय विद्यालयों के शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के पेंशन शुरू करने की लंबे समय से लंबित मांग की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । जवाहर नवोदय विद्यालय शिक्षा मंत्रालय के तहत केंद्र सरकार का संगठन है । यहाँ के कर्मचारी केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के तहत पेंशन लाभ की मांग कर रहे हैं । शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के पेंशन का मामला काफ़ी लंबे समय से मंत्रालय में लंबित हैं । केंद्रीय तिब्बती स्कूलों, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयों, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, एनसीईआरटी और अन्य स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों को पेंशन का लाभ मिलता है परंतु नवोदय विद्यालय के शिक्षकों और कर्मचारियों को अभी पेंशन का लाभ नहीं मिलता है । हमारे शिक्षा मंत्री सकारात्मक सोच वाले मंत्री है । मेरा माननीय शिक्षा मंत्री से निवेदन है कि जवाहर नवोदय विद्यालय के शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की पेंशन शुरू करने की माँगो पर जल्द से जल्द पुनर्विचार करें ।